थाना कुवरगॉव व एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही से बदायूँ पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता।

सनसनीखेज बांकेलाल की हत्या का सफल अनावरण।

03 अभियुक्तगण गिरफ्तार,आला कत्ल बरामद।

श्री आलोक प्रियदर्शी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अन्तर्गत श्री अमित किशोर श्रीवास्तव पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्री आलोक मिश्र, क्षेत्राधिकारी नगर जनपद बदायूं के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनॉक 21-02-2024 थाना कुवरगॉव एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना कुवरगॉव पर मुकद्दम उर्फ हत्या के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 34/24 धारा 302 भादवि की घटना का सफल अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल 03 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अस्त्र, शस्त्र तथा हत्या के बाद साथ लेकर गये मृतक मोबाइल एवं घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा पहने गये कपडे बरामद किये गये।

घटना क्रमः यह उल्लेखनीय है कि दिनॉक 13-02-2024 की प्रात: थाना कुवरगॉव क्षेत्र अन्तर्गत जंगल ग्राम भेसामई में मुक्कदम उर्फ बाके पुत्र छोटेलाल निवासी बिहारी गौटिया थाना कुवरगॉव उम्र करीब 55 वर्ष का शव मिला था,जिसकी गर्दन काटकर हत्या की गयी थी और जिसका सिर धड़ से अलग था इस संबंध में मृतक के भाई राजपाल द्वारा अपने गॉव के नेत्रपाल आदि 04 नफर को नामित करते हुएथाना कुवरगॉव पर मु0अ0सं0 34/24 धारा 302 भादवि पंजीकृत कराया गया था।

इस सनसनीखेज हत्या काण्ड में प्रारम्भिक विवेचना से नामजदगी सही प्रतीत नही हुई, अतः हत्याकाण्ड का खुलासा किये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों के निर्देशन में थाना कुवरगॉव एवं एसओजी की टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा गहन छानबीन,सुरागरसी पतारसी एवं इलेक्ट्रानिक सर्विलांस का उपयोग करते हुए घटना क्रम से जुड़े कई संदिग्ध लोगो से पूछताछ की गयी और घटना का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार शुदा नाम पता अभियुक्तगण-

1-. फाजिल पुत्र मुनाफ नि0 भैसामई थाना कुंवरगाँव बदायूँ

2- पूजा पत्नी राम सिंह उर्फ लल्ला नि0 ग्राम कैली थाना कुंवरगाँव बदायूँ।

3- जाविर पुत्र असलम नि0 ग्राम दुगरैया थाना कुंवरगाँव बदायूँ

पूछताछ का विवरणः

घटना में संलिप्त अभियुक्तो से तर्क संगत रुप से की गयी पूछताछ से यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक मुकद्दम उर्फ बांके के गॉव के गुलफाम नामक व्यक्ति की वर्ष 1998 में हत्या हुई थी जिसमें गॉव के कुछ लोग जेल गये थे। इस घटना में मृतक मुकद्दम उर्फ बांके जेल नही गया था लेकिन मृतक के परिजनों को हमेशा से यह शक था कि गुलफाम की हत्या मुकद्दम उर्फ बांके ने ही करायी थी। इस वजह से दोनो परिवारो के बीच मनमुटाव था मृतक गुलफाम के भाई हाकिम की पास के गॉव के फाजिल पुत्र मुनाफ से दोस्ती थी। फाजिल अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। इसे मृतक मुकद्दम उर्फ बांके ने एक बार भेंस चोरी के अपराधिक मामले में नामजद भी किया था । अपनी पुरानी रंजिश के आधार पर हाकिम ने बांके की हत्या के लिये फाजिल को 02 लाख रुपये की सुपारी देना तय किया। इसी क्रम में फाजिल ने अपने एक साथी जाबिर पुत्र असलम एवं अपनी महिला मित्र पूजा के साथ मिलकर बांके की हत्या की योजना बनायी और योजना के अनुसार घटना से 02 दिन पूर्व मृतक को पूजा द्वारा एक फर्जी मो0 सिम के माध्यम से मृतक की ट्यूववेल पर बुलाया गया । मृतक शराब के नशे में था। यहां तीनो व्यक्तियों द्वारा दिनॉक-12-02-2024 की रात्री में करीब 10 बजे इसकी छुरी से गर्दन काटकर निर्मम हत्या कर दी गयी।

बरामदगी-

1- आलाकत्ल गंडासा एक अदद

2- एक तमंचा पौनिया 315 बोर 04 जिन्दा करातूस 315 बोर

3- एक तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस

4- मृतक का मोबाइल फोन

1 आपराधिक इतिहास अभियुक्त फाजिल पुत्र मुनाफ अली नि0 भैसामई कुवरगॉव

1- मु0अ0स0 44/08 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना कुवरगाँव बदायूँ

2- मु0अ0सं0 116/08 धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 थाना कुवरगाँव बदायूँ

3- मु0अ0सं0 117/08 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कुवरगाँव बदायूँ

4- मु0अ0सं0 119/08 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बिनावर बदायूँ

5- मु0अ0सं0 180/08 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कुवरगाँव बदायूँ

6- मु0अ0सं0 84/17 धारा 379 थाना कुवरगाँव बदायूँ

7- मु0अ0सं0 85/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुत्र्वरगाँव बदायूँ

8- मु0अ0सं0 263/17 धारा 392 भा0द0वि0 एक्ट थाना कुवरगाँव बदायूँ

9- मु0अ0सं0 163/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुवरगाँव बदायूँ

10-मु0अ0सं0 125/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुवरगाँव बदायूँ

11- मु0अ0सं0 30/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना कुवरगाँव बदायूँ

12- मु0अ0सं0 34/24 धारा 302 भादवि थाना कुवरगॉव

2- आपराधिक इतिहास जाविर पुत्र असलम नि0 डुगरय्या कुवरगॉव

1- मु0अ0सं0 34/24 धारा 302 भादवि थाना कुवरगॉव

3- आपराधिक इतिहास पुजा कुमारी पत्नी राम सिंह कैली कुवरगॉव

1- मु0अ0सं0 180/18 धारा 302 भादवि थाना कुवरगॉव

2- मु0अ0सं0 34/24 धारा 302 भादवि थाना कुवरगॉव

4- फरार/वांछित अभियुक्त- हाकिम पुत्र रामजीत नि0बिहारी गौटिया कुवरगॉव

सोशल मीडिया सेल,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जनपद बदायूं।